न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

अपील संख्याः–07/2017

1. श्रीमती मथरी बाई पिता दल्लाजी पति नन्दलाल जाति मेघवाल निवासी गोमाना हाल मुकाम जमुनिया कला तहसील व जिला नीमच म0प्र0 –– अपीलान्ट

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता दल्लाजी जाति मेघवाल निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
2. कमलाबाई पति दल्ला जाति मेघवाल निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
3. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

––रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 860 दिनांक 27.11.2004

उपस्थितः– श्री प्रथ्वीराज रेगर– अभिभाषक अपीलान्ट
श्री धर्मचन्द नागोरी– अभिभाषक रेस्पोडेन्टस

निर्णय

दिनांक 24.03.2022

1. यह अपील अपीलान्ट ने मौजा गोमाना पटवार हल्का गोमाना के नामान्तकरण संख्या 860 दिनांक 27.11.2004 के विरूद्ध पेश कि जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मोजा गांव गोमाना की आराजीयात संख्या 660/2150 रकबा 0.61 हैक्ट0 भुमि स्थित है। नानुराम की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र मॉगु और दल्ला थे मॉगु लाओलाद फोत होने के बाद दल्ला भी फोत हो चुका जिसकी विरासत नातायत पत्नि कमलाबाई एवं देवीलाल के नाम से नामान्तरण संख्या 860 दिनांक 27.11.2004 को प्रशासन आपके द्वार के केम्प वर्ष 2004 में फैसल किया गया जो गलत है। मेरे पिता जी दल्ला का विवाह अग्नि के सात फेरे मेरी माताजी दाखीबाई के साथ सम्पन्न हुआ और मेरे पिता जी के पुत्र नहीं होने केवल मात्र में पुत्री मथरीबाई हूँ। और मेरी माता दाखीबाई की सहमति द्वारा मेरे पिताजी का नाता कमली बाई के साथ कराया जो मेरे पिता जी नातायत पत्नि है। मेरी माता दाखीबाई दल्लाजी की शादीशुदा पत्नि है और दल्लाजी

नानुराम जी के पुत्र है दोनो की मृत्यु उपरान्त मे अकेली उनकी एक मात्र जायन्दा सन्तान हू। अतः मौजा गांव गोमाना पटवार हल्का गोमाना के नामान्तकरण संख्या 860 दिनांक 27.11.2004 को खारीज कर मेरा नाम उक्त आराजीयात में जोड़ने का आदेश प्रदान करावें।

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये समन्न सुचित किया दिनांक 02.08.2017 को रेस्पोडेन्टस की तरफ से अधिकार पत्र पेश किया गया एवं पत्रावली को जवाब हेतु नियत किया गया एवं प्रतिवादी को काफी अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब पेश नही किया अतः दिनांक 15.11.2017 को जवाब बन्द कर पत्रावली को साक्ष्य वादी हेतु नियत किया एवं दिनांक 03.01.2018 को अभिभाषक श्री धर्मचन्द नागोरी द्वारा रेस्पोडेन्ट की तरफ से अधिकार पत्र पेश किया तथा दिनांक 16.01.2018 को लिखित बहस पेश कि जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा पत्रावली को बहस अपीलान्ट हेतु नियत किया गया।

3. दौरान बहस वकील अपीलान्ट ने अपील के मुल बिन्दु को दौराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के दादा जी नानुराम जी की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र मॉगु और दल्ला थे मॉगु लाओलाद फोत होने के बाद दल्ला भी फोत हो चुका जिसकी विरासत नातायत पत्नि कमलाबाई एवं देवीलाल के नाम से नामान्तकरण संख्या 860 दिनांक 27.11.2004 को प्रशासन आपके द्वार के केम्प वर्ष 2004 में फैसल किया गया जो गलत है। अपीलान्ट के पिता जी दल्ला का विवाह अग्नि के सात फेरो से अपीलान्ट की माताजी दाखीबाई के साथ सम्पन्न हुआ और अपीलान्ट के पिता जी के पुत्र नहीं होने केवल मात्र अपीलान्ट पुत्री मथरीबाई है। तथा ग्राम पचायत ने वारीसान प्रमाण पत्र दिया जिसमे अपीलान्ट को 1/3 हिस्सेदार माना है। तथा रेस्पोडेन्ट कमांक 01 एवं 02 की तरफ से कोई जवाब पेश नही किया अतः नामान्तरण संख्या 860 दिनांक 27.11.2004 को खारीज कर अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड में जोड़ा जावें।

4. वकील रेस्पोडेन्टस ने कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 860 दिनांक 27.11.2004 को खोलाजाकर तस्दीक किया गया जो कि मजमा–आम में खोला गया अगर मथरी दल्ला की पुत्री होती तो मजमा–आम मे व्यक्ति तस्दीक करती नामान्तकरण सभी की जानकारी में खोला गया हमारे कथन की ताईन्द में वोटर लिस्ट 1988, 2000 की पेश की जिसमें भी दाखी बाई का कोई उल्लेख नहीं था नामान्तकरण 2004 में खोला गया एवं अपील 2017 मे तकरीबन 13 वर्ष बाद पेश की गई तथा न तो कोई कारण

बताया एवं न ही सी.पी.सी की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया तथा हम तो मानते ही नहीं कि मथरी दल्ला की पुत्री नहीं है। केवल पंचायत के राजरा से कोई प्रमाणिकरण नहीं होता है। अतः अपील खारीज की जाए।

5. अपील उभयपक्ष सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया संलग्न दस्तावेजों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया दौरान अपील वकील रेस्पोडेन्टस ने ताईन्द में वोटर लिस्ट 1988, 2000 की पेश करने का जिक्र किया लेकिन पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य सलंग्न नहीं पाया गया। एवं सलंग्न पचायत का प्रमाण पत्र क्रमांक ग्रा0प0/2013–14/90 दिनांक 21.06.2013 के अनुसार मथरी बाई को दला की वैध उत्तराधिकारी बताया गया है। अतः हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम आदेश अनुसार बेटियों का जन्म से ही पिता की सम्पति में सम्मान अधिकार है। अतः नामान्तकरण संख्या 860 दिनांक 27.11.2004 को खारीज किया जाना ही न्यायोचित प्रतित होता है।

6. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। एवं मौजा गोमाना पटवार हल्का गोमाना के नामान्तकरण संख्या 860 दिनांक 27.11.2004 को अपास्त किया जाता है। एवं तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जाता है कि मृतक दल्ला के बजाए उनके विधिक वारिसान की जॉच कर विरासत का नामान्तकरण दर्ज कर लोक सेवा गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित समयावधि में फैसल कर पालना रिपोर्ट पेश करें।

यह निर्णय आज दिनांक 24.03.2022 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़